



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'घ' वर्ग  
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND  
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक ५४८ /०२ व्यघ-सा०/२२

दिनांक ०८/०७/२०२२

### कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या ।/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) को निजिहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं०-०४ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पल्लवी चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत	17 (1) (ख) (चार)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथास्मय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

४०/—

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, .....।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पावत।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'घ' वर्ग  
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-cepwdua@gmail.com

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक ५४७ / ०२ व्यघ-सा०/२२

दिनांक ०८/०७/२०२२

:कार्यालय ज्ञाप:

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या ।/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) को निजिहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित कॉलम सं०-०४ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री अतुल शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त लो०नि०वि०, हल्द्वानी	क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, लो०नि०वि० कुवॉवाला (देहरादून)	17 (1) (ख) (दो)

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

४१

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
- अधीक्षण अभियन्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि०, देहरादून।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, .....।
- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय, राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
- अधिशासी अभियन्ता, क्वालिटी कन्ट्रोल खण्ड, लो०नि०वि० कुवॉवाला (देहरादून)।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- अधिशासी अभियन्ता (आई०टी०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को विभागीय वेब साइट प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
४७.२०२२